कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

ccf-kanker.cg@gov.in (07868) 222014 (07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.25/2019/ 150 कांकेर, दिनांक/ 10/ 1/2019

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल

विषय :— **Diversion of Forest land non-Forest purpose under Forest Conservation Act. 1980 Proposed for Jawahar Navodaya Vidhayalaya Area 5.00 ha. regarding.**
Online Registarion No. FP/CG/SCH/32242/2018

संदर्भ :— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग अटल नगर रायपुर/भू–प्रबंध/विविध/115–734/4290 दिनांक 26.12.2018

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो आपको सीधे लेख कर प्रस्ताव मूलतः वापस किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत के दिशा–निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र.25/2861 दिनांक 16.11.2018 को प्रेषित किया गया है। नोडल अधिकारी कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियॉ पाई गई है, जो निम्नानुसार है :—

1. प्रस्ताव में 1200 वृक्ष स्थल पर होना बताया गया है। कितने वृक्षों का विदोहन किया जाना है यह स्पष्ट नहीं है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/एफ .नं. 11–9/98–एफ.सी.(LWE) दिनांक 15.02.2018 अनुसार राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र में 50 वृक्ष प्रति हे. के मान से होने पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस प्रस्ताव में 1200 वृक्ष कटना है जो प्रति हे. 50 वृक्ष से अधिक है स्पष्ट करें।
2. स्थल विशेष परियोजना नहीं होने के कारण 3 वैकल्पिक क्षेत्रों का चयन कर तुलनात्मक विवरण प्रेषित करें।
3. वन क्षेत्र में की आवश्यकता न्यूनतम होने के संबंध में कोई अभिलेख/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तावित स्थल में निर्माण कार्य का Layout तथा भूमि उपयोग का ब्रेकअप के साथ परीक्षण करते हुए वनमंडलाधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रेषित करें।
4. नवोदय विद्यालय की आवश्यकता के संबंध में प्रशासकीय स्वीकृति की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जायें।

अतः उपरोक्त कमियों की पूर्ति कराकर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

10/01/19

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

पृ.क्रमांक/मा.चि./न.क्र.25/2019/ 151 कांकेर, दिनांक/ 10 / 1/2019

प्रतिलिपि :— जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोण्डागांव,छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उपरोक्त बिन्दुओं में पाई गई कमियों की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

10/01/19

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर